

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०— वि.प्रा० (III) यो०— 9 / 2017—

/ पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना

विषय— विभागान्तर्गत नवस्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया में वर्ष 2017–18 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थान के वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, कर्मशाला, पुस्तकालय में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु. 1,35,00,000=00 (एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि कठिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कठिहार को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश— स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विभागान्तर्गत नवस्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया में वर्ष 2017–18 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थान के वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, कर्मशाला, पुस्तकालय में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु. 1,35,00,000=00 (एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि कठिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कठिहार को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना बजट के “मुख्यशीर्ष-4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-105 –इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0106-अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)” के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड- पी 4202021050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, कठिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कठिहार होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, कठिहार से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होंगे तथा क्रय की गई मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक एवं आवश्यकता से अधिक सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ —

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (III) यो.— 9 / 2017—

/ पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (III) यो.— 9 / 2017—

/ पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (III) यो.— 9 / 2017—

/ पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार सह प्रभारी प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (III) यो.— 9 / 2017—

505 / पटना, दिनांक— २८/२/१७

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/आई.टी.मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२८.२.१७

सरकार के उप सचिव

